Arya, was convicted of murder, sexual harassment, disappearance of evidence, and offences under the provisions of the Immoral Trafficking Act.

DIP/Shabdarth/Classified/0253/26-27

Additional Chief Secretary
Deptt. for the Welfare of SC/ST/OBC
B Block 2nd Floor Vikas Bhawan,
New Delhi-110002

OFFICE OF THE
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, DELHI
C. R. BUILDING, I. P. ESTATE, NEW DELHI-110002.

F.No. Addl. CIT(HQ.) (Coord.)/268(5) & (6)/2026-27/ **Date: 10.202(**

NOTIFICATION FOR APPLICATION

Income Tax Department, Delhi had invited applications for empanelment of CA Entities/Firms/LLPs for the purpose of carrying out Special Audit u/s 142(2A) of the I.T. Act, 1961 for the period from 01.04.2025 t 31.03.2028. Afterwards, CA Entities/Firms/LLPs were empaneled vide order dated 26.11.2025 for carrying out Special Audit u/s 142 (2A) of the Income Tax Act, 1961 in the region of Principal Chief Commissioner (Income Tax, Delhi.

Income Tax Department, Delhi is providing one more window for empanelment of CA Entities/Firms/LLPs for the purpose of carrying out Special Audit under section 268(5) read with section 268(6) of the Incom Tax Act, 2025 [Section 142(2A) of the Income-tax Act, 1961] for the period up to 31.03.2028 and accordingly invites applications from CA Entities/Firms/LLPs for empanelment for the purpose of carrying out Speci Audit under section 268(5) read with section 268(6) of the Income Tax Act. 2025 [Section 142(2A) of the Income-tax Act, 1961].

The criteria laid down for empanelment are as under:

1. The CA Entities/Firms/LLPs should have been established at least five years prior to 31.03.2025.
2. The total turnover/gross receipts from the profession of CA Entities/Firms/LLPs should be at least Rs. 1 crore in each of the preceding five financial years, the last financial year being FY 2024-25.
3. During the last three financial years i.e. starting from FY 2022-23, the CA Entities/Firms/LLPs must have audited at least five different companies having turnover of at least Rs. 100 Crore.
4. The Staff strength of the CA Entities/Firms/LLPs should be at least 20, which should include a minimum of 5 Chartered Accountants in the last financial year (FY 2024-25).
5. CA Entities/Firms/LLPs or members thereof should not have been found guilty by any Court of Law.
6. The CA Entities/Firms/LLPs or members thereof should not have indulged in any professional misconduct nor should have faced any complaint u/s 21 of the Chartered Accountants Act, 1949 for irregularity i audit before the Institute of Chartered Accountants.

The applications received in this office shall be examined by a Screening Committee and the decision of the Department as regards the empanelment of CA Entities/Firms/LLPs on the panel will be Final and bindin The quality and magnitude of previous work done as auditors and special auditors as well as general reputation of the qualified CA entities/Firms/LLPs will be taken into account by the committee while deciding the fin panel. The applicants may submit a write-up (in about 1000 words) on significant audit/special audit work done by them in the last 5 years.

The CA entities/Firm/LLPs that fulfill the above criteria may submit their applications specifying the fulfillment of conditions from (1) to (6) as stated above along with documentary evidences (duly certified alor with notarized affidavit) to the DCIT (HQ.) (Coord-2), Delhi through email only at E-mail id-delhi.dcit.hq.coord2@incometax.gov.in. Applications without any supporting documentary evidences will not be considered fi empanelment.

All CA Entities/ Firms/ LLPs already empaneled vide order dated 26.11.2025 for the period from 01.04.2025 to 31.03.2028 need not submit fresh applications.

The remuneration for Special Audit is governed by Rule 172 of the Income-tax Rules, 2026.

The last date for submission of application is three weeks from the date of publication of this advertisement.

APPLICATION FOR EMPANELMENT OF CA ENTITY/FIRM/LLP FOR SPECIAL AUDIT U/S 268 (5) READ WITH SECTION 268(6) OF INCOME TAX ACT, 2025

S. No.	PARTICULARS	DETAILS
1	NAME OF THE FIRM	
2	ICAI REGISTRATION NO. OF THE FIRM	
3	PRESENT STATUS	
4	PAN & WARD/CIRCLE	
5	COMPLETE ADDRESS OF THE OFFICE, TEL. NO., EMAIL ID	
6	DATE SINCE WHEN THE FIRM HAS AN FCA	
7	DATE OF ESTABLISHMENT OF FIRM/LLP	
8	NAME & COMPLETE ADDRESS, TEL.NO & EMAIL ID OF THE CA	
9	DETAILS OF THE FULL TIME PARTNERS (SEPARATE SHEET INDICATING QUALIFICATIONS & EXPERIENCE)	
10	DETAILS OF THE PART TIME PARTNERS OF THE FIRM LIKE NAME & PHONE NO.	
11	DETAILS OF THE CA EMPLOYEES LIKE NAME & PHONE NO.	
12	NO. OF AUDIT STAFF EMPLOYED FULL TIME WITH THE FIRM (A) ARTICLES/AUDIT CLERKS (NAME & PHONE NO) (B) OTHER AUDIT STAFF (NAME & PHONE NO.)	
13	DETAILS OF DIRECTORSHIP HELD BY THE PARTNERS	
14	TURNOVER OF CA FIRM/ENTITY/LLP FY 2020-21 FY 2021-22 FY 2022-23 FY 2023-24 FY 2024-25	WITH DOCUMENTARY EVIDENCE (LIKE ITR, AUDIT REPORT AND ANY OTHER SUCH DOCUMENT)
15	DETAILS OF AUDIT UNDERTAKEN: FY 2022-23 FY 2023-24 FY 2024-25	DETAILS OF EACH SUCH ENTITY ALONGWITH DOCUMENTARY EVIDENCE ESTABLISHIN TURNOVER OF EACH SUCH ENTITY (LIKE ITR, AUDIT REPORT AND ANY OTHER SUCI DOCUMENT)
16	DETAIL OF ALL SPECIAL AUDIT U/S 142(2A) OF IT ACT, 1961 UNDERTAKEN BY THE CA ENTITY/FIRM/LLP	
17	IS CA ENTITY/FIRM/LLP INDULGED IN ANY PROFESSIONAL MISCONDUCT OR HAVE FACED ANY COMPLAINT U/S 21 OF THE CHARTERED ACCOUNTANTS ACT, 1949 FOR IRREGULARITIES IN AUDIT BEFORE THE ICAI.	
18	WHETHER THE FIRM OR PARTNERS OF THE FIRM IN DISCHARGE OF HIS/HER WORK HAS BEEN FOUND GUILTY UNDER IT ACT OR HELD GUILTY UNDER ANY OTHER COURT OF LAW	

UNDERTAKING

WE THE FOLLOWING PARTNERS OF CA ENTITY/FIRM/LLP HEREBY JOINTLY AND SEVERALLY VERIFY AND DECLARE

1. THAT THE PARTICULARS GIVEN ABOVE ARE CORRECT AND FURTHER RECOGNISED THAT IF ANY OF THE STATEMENT MADE THEREIN FOR THE INFORMATION SO FURNISHED IN TI APPLICATION FORM IS NOT CORRECT OR FALSE INFORMATION OR SUPPRESSION OF MATERIAL INFORMATION, WILL NOT ONLY DISQUALIFY THE FIRM FROM ALLOTMENT BUT AL MAKE IT LIABLE FOR DISCIPLINARY ACTION UNDER THE CA ACT, 1949 AND REGULATIONS FRAMED THERE UNDER.
2. THAT INDIVIDUALLY WE ARE NOT ENGAGED IN PRACTICE OTHERWISE OR IN ANY OTHER ACTIVITY WHICH WOULD BE DEEMED TO BE IN PRACTICE UNDER SECTION 2(2) OF THE (ACT, 1949.

Date of Advertisement - 15.10.2026

(PARTNEI

CBC 15403/11/0022/2627

DCIT(HQ.) (Coord-2), D

For Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA), D

New Delhi

New Delhi

या तत्समय कार्य की महत्ता के अनुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

2- उक्त अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना का विवरण एवं शर्तो की जानकारी http:/etender.up.nic.in व http:/ldup.gov.in पर उपलब्ध है।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर
रूड़की

UPID - 258199, DT.13/10/2026
www.upgov.nic.in

2. धरोहर धनराशि शुल्क ठेकेदार/फर्म द्वारा (कालम संख्या 7 के अनुसार) अधीक्षण अभियन्ता, आगरा व लो0नि0वि0, आगरा के पक्ष में ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(गुलवीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मथुरा

(आर0के0 सिंह)
अधीक्षण अभियन्त
आगरावृत्त, लो0नि0वि
आगरा

UPID - 258078 DT 13/10/2026,
www.upgov.nic.in

सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली
केन्द्रीय राजस्व भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-११०००२

F.No. Addl. CIT(HQ.)(Coord.)/268(5) & (6)/2026-27/ दिनांक: .10.2026

आवेदन के लिए अधिसूचना

आयकर विभाग, दिल्ली द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(2A) के अंतर्गत 01.04.2025 से 31.03.2028 की अवधि के लिए विशेष लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से सीए इकाई/फर्मों/एलएलपी के पैनल में शामिल किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तत्पश्चात, सीए इकाई/फर्मों/एलएलपी को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली के क्षेत्राधिकार में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(2A) के अंतर्गत विशेष लेखापरीक्षा करने हेतु दिनांक 26.11.2025 के आदेश द्वारा पैनल में शामिल किया गया था।

आयकर विभाग, दिल्ली आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 268(5) के साथ पठित धारा 268(6) के साथ पढ़ा जाए [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 142(2A)) के अंतर्गत 31.03.2028 तक की अवधि के लिए विशेष लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से सीए इकाई/फर्मों/एलएलपी के पैनल में शामिल किए जाने हेतु एक और अवसर प्रदान कर रहा है और तदनुसार सीए संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी से आवेदन आमंत्रित करता है।

पैनल में शामिल किए जाने हेतु निर्धारित मानदंड निम्नानुसार हैं:

1. सीए संस्थाएं/फर्में/एलएलपी 31.03.2025 से कम से कम पांच वर्ष पहले स्थापित होनी चाहिए।
2. सीए इकाई/फर्मों/एलएलपी के पेशे से कुल कारोबार/सकल प्राप्तियां पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में कम से कम 1 करोड़ रुपये होनी चाहिए। इसके लिए अंतिम वित्तीय वर्ष वित्त वर्ष 2024-25 है।
3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान यानी वित्त वर्ष 2022-23 से शुरू होकर, सीए इकाई/फर्मों/एलएलपी ने कम से कम 100 करोड़ रुपये के कारोबार (Turn Over) वाली कम से कम पांच अलग-अलग कंपनियों का ऑडिट किया हो।
4. सीए इकाई/फर्मों/एलएलपी के कर्मचारियों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) में न्यूनतम 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल होने चाहिए।
5. सीए, इकाई/फर्मों/एलएलपी या उसके सदस्यों को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया जाना चाहिए।
6. सीए इकाई/फर्मों/एलएलपी या उसके सदस्यों की किसी भी पेशेवर कदाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए और न ही चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के समक्ष ऑडिट में अनियमितता के लिए किसी शिकायत का सामना करना पड़ा हो।

इस कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की जांच एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी और पैनल में सीए इकाई/फर्मों/एलएलपी के पैनल के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऑडिटर और विशेष ऑडिटर के रूप में किए गए पिछले काम की गुणवत्ता और परिमाण के साथ-साथ योग्य सीए इकाई/फर्मों/एलएलपी की सामान्य प्रतिष्ठा को अंतिम पैनल तय करते समय समिति द्वारा ध्यान में रखा जाएगा। आवेदक पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण ऑडिट/विशेष ऑडिट कार्य पर एक लेख (लगभग 1000 शब्दों में) प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाली सीए इकाई/फर्म/एलएलपी दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ (1) से (6) तक की शर्तों की पूर्ति को निर्दिष्ट करते हुए अपने आवेदन (नोटरीकृत हलफनामे के साथ विधिवत प्रमाणित) केवल ई-मेल के माध्यम से उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) (समन्वय-2), दिल्ली के ई-मेल आईडी delhi.dcit.hq.coord2@incometax.gov.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं। बिना किसी सहायक दस्तावेजी साक्ष्य के आवेदनों को पैनल में शामिल करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक 26.11.2025 के आदेश द्वारा 01.04.2025 से 31.03.2028 की अवधि के लिए पहले से ही पैनल में शामिल सभी सीए संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी को नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

विशेष लेखापरीक्षा के लिए पारिश्रमिक आयकर नियम, 2026 के नियम 172 के अंतर्गत देय होगा।

आवेदक इस विज्ञापन के जारी होने के तीन सप्ताह के अन्दर आवेदन कर सकते हैं।

उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) (समन्वय-2), दिल्ली
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी), दिल्ली

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 268(5) के साथ पठित धारा 268(6) के तहत विशेष लेखा परीक्षा के लिए सीए इकाई/फर्म/एलएलपी के पैनल के लिए आवेदन

1	फर्म का नाम	
2	आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या	
3	वर्तमान स्थिति	
4	पैनः चार्ड/सर्किल	
5	कार्यालय का पूरा पता, दूरभाष नं., फैक्स नं. एवं ईमेल आईडी	
6	तारीख जब से फर्म के पास एफसीए है	
7	फर्म/एलएलपी की स्थापना की तिथि	
8	नाम और पूरा पता, दूरभाष नं. और मुख्यालय के सीए प्रभारी की ईमेल आईडी	
9	पूर्णकालिक भागीदार का विवरण (अलग शीट योग्यता और अनुभव को इंगित करते हुए)	
10	फर्म के अंशकालिक भागीदारों का विवरण जैसे नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, पता और पंजीकरण संख्या।	
11	सीए कर्मचारियों का विवरण जैसे नाम और फोन नंबर।	
12	फर्म के साथ पूर्णकालिक रूप में कार्यरत लेखापरीक्षा कर्मचारियों की संख्याः (ए) आर्टिकल/लेखापरीक्षा क्लर्क (नाम और पंजीकरण संख्या) (बी) अन्य लेखापरीक्षा कर्मचारी (नाम और फोन नं.)	
13	भागीदारों द्वारा आयोजित निदेशक का विवरण	
14	सीए फर्म/इकाई/एलएलपी का कारोबारः वित्तीय वर्ष 2020-21 वित्तीय वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष 2024-25	दस्तावेजी साक्ष्य के साथ (जैसे आईटीआर, ऑडिट रिपोर्ट और ऐसा कोई अन्य दस्तावेज)
15	किए गए लेखापरीक्षा का विवरणः वित्तीय वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष 2024-25	ऐसी प्रत्येक इकाई के विवरण के साथ-साथ ऐसी प्रत्येक इकाई का कारोबार स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे आईटीआर, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और ऐसा कोई अन्य दस्तावेज)
16	सीए इकाई/फर्म/एलएलपी द्वारा किए गए आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 142(2A) के तहत सभी विशेष लेखापरीक्षाओं का विवरण	
17	सीए इकाई/फर्म/एलएलपी किसी भी पेशेवर कदाचार में लिप्त है या आईसीएआई के समक्ष लेखा परीक्षा में अनियमितताओं के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के तहत किसी भी शिकायत का सामना किया है।	
18	क्या फर्म या फर्म के साझेदारों को उनके काम के निर्वहन में आईटी अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है या किसी अन्य न्यायालय के तहत दोषी ठहराया गया है।	

घोषणा

हम सीए इकाई/फर्म/एलएलपी के निम्नलिखित भागीदार संयुक्त रूप से और अलग-अलग सत्यापन और घोषणा करते हैं:

1. यह कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही हैं और यह भी स्वीकार किया जाता है कि यदि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के लिए दिया गया कोई भी विवरण सही या गलत जानकारी या प्रमाणित जानकारी न पाए जाने पर, न केवल आवेदन में फर्म को अयोग्य घोषित करेगा बल्कि सीए अधिनियम, 1949 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा।
2. यह कि व्यक्तिगत रूप से हम अन्यथा अभ्यास में या किसी अन्य गतिविधि में शामिल नहीं हैं जिसे सीए अधिनियम, 1949 की धारा 2(2) के तहत व्यवहार में माना जाएगा।

CBC 15403/11/0022/2627 विज्ञापन दिनांक- 15.10.2026 (साझेदा